जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 17 संख्याः 165 प्रभात हिण्डौन सिटी, रविवार 20 अप्रैल, 2025 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

बार बार पूर्व मु.मंत्री अपनी पीठ ठोकते हैं, कि उनके शासन में ''कोविड मैनेजमेंट'' उत्कृष्ट था...(1)

पर था या नहीं, इस पर विस्तार से बाद में बात की जा सकती है, पर, यह ससबूत कहा जा सकता है कि ''कोविड मैनेजमेंट'' के नाम पर अरबों की लूट मची थी

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 19 अप्रैल। कोविड महामारी से लड़ने और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं तुरन्त मुहैया कराने के नाम पर पिछली अशोक गहलोत सरकार ने केन्द्र और राज्य सरकार के राजकोष से कई तरह के खर्चे किए, परन्तु अब प्राप्त दस्तावेजों से जाहिर होता है कि इन खर्चों में नियम-कायदों और नीतियों का भारी उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार कर दी गईं। उदाहरण के लिए, कोविड महामारी के दौरान राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों में राज्य/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ./एन.डी.आर.एफ.) से गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.), बाल गहन चिकित्सा इकाई तथा नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाइयों (एच.आई.सी.यू./ पी.आई.सी.यू.) के सम्पूर्ण ''टर्नकी'' निर्माण प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार द्वारा 131 करोड़ रूपए का व्यय एस.डी. आर.एफ. फंड से किया गया, जबकि उक्त व्यय भारत सरकार द्वारा जारी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों एवं समय-समय पर तय किये गए नियम कायदों के भी विरूद्ध है।

- यह लूट इतने सुनियोजित तरीके से हुई कि, ''राइट टु इन्फॉर्मेशन'' (सूचना का अधिकार) के दफ्तरों के बीसियों चक्कर लगाने पड़े प्रमाण इकट्ठे करने में।
- पहले तो सरकार ने यह कहा कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है। इस बहाने की आड़ में गहलोत सरकार ने, पारदर्शिता अधिनियम की पूरी अवहेलना करते हुए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के फंड से अस्पतालों में स्थायी निर्माण करने के आदेश दिये।
- इन निर्माण कार्यों में किसी भी तरह के मानक लागू नहीं किये गये, और बड़ी महंगी दरों पर निर्माण कार्य हुआ। जबकि, मार्च-अप्रैल 2020 को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, आपदा राहत निधि से कोई भी स्थायी काम नहीं कराया जा सकता। ऐसे निर्माण कार्य को सरकार को अपने बजट से ही करवाना अनिवार्य है। पर, 31 मार्च 2021 को सरकार ने मेडिकल एजुकेशन विभाग को इस काम को राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से कराने की स्वीकृति दी, इस स्वीकृति में 131 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राहत निधि से खर्च करना शामिल है।

दरअसल, एस.डी.आर.एफ. के फंड से प्राकृतिक आपदा के समय राज्य सरकारें आपदा प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को हुई क्षति की मरम्मत और गैर स्थाई ढांचों की मरम्मत के लिये खर्च कर सकती है। पाठकों को बता दें कि प्राकृतिक आपदा व महामारी के दौरान लोक निर्माण से जुड़े कार्यों के लिये निविदा जारी करना असंभव हो जाता है, क्योंकि निविदा जारी करने वाले कानून, जैसे राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आर.टी.पी.पी.) अधिनियम, भी निलंबित हो जाते हैं, इसलिये कोविड महामारी के दौरान अशोक गहलोत सरकार द्वारा नियमों की भारी अवहेलना करते हुए एस.डी.आर.एफ.के फंड के उपयोग से अस्पतालों में आई.सी.यू जैसे स्थाई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

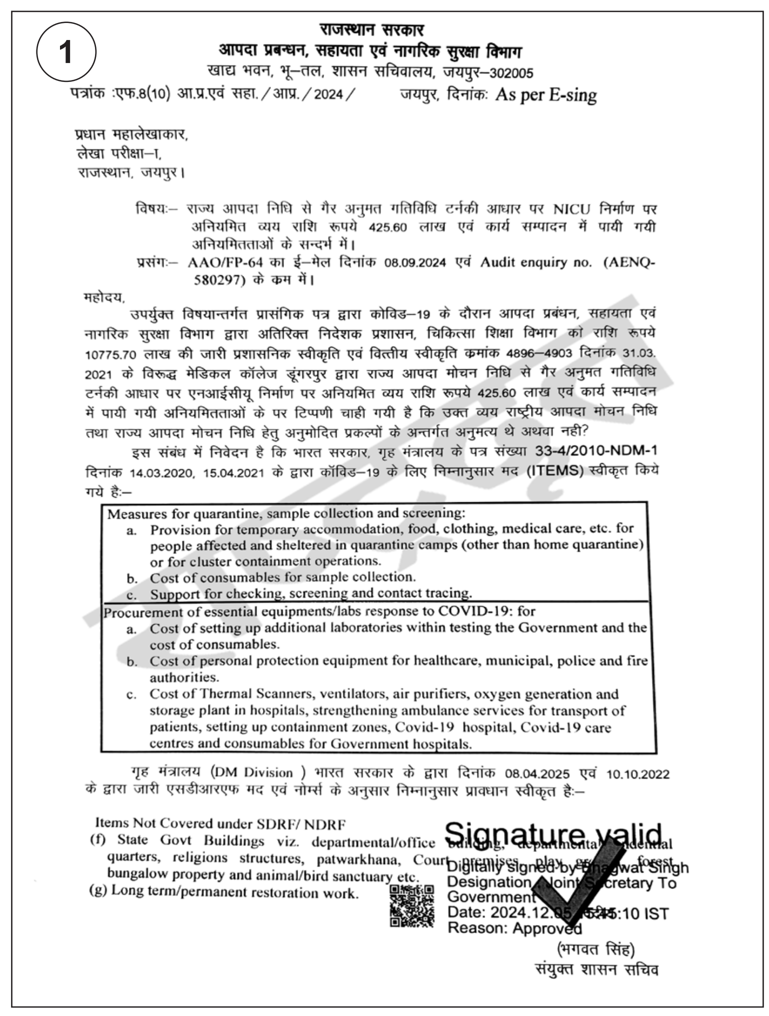

1

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक :एफ.8(10) आ.प्र.एवं सहा./आप्र./2024/ जयपुर, दिनांकः As per E-sing

प्रधान महालेखाकार,
लेखा परीक्षा-I,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः- राज्य आपदा निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर NICU निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रूपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के सन्दर्भ में।

प्रसंगः- AAO/FP-64 का ई-मेल दिनांक 08.09.2024 एवं Audit enquiry no. (AENQ-580297) के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कोविड-19 के दौरान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को राशि रूपये 10775.70 लाख की जारी प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 4896-4903 दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से गैर अनुमत गतिविधि टर्नकी आधार पर एनआईसीयू निर्माण पर अनियमित व्यय राशि रूपये 425.60 लाख एवं कार्य सम्पादन में पायी गयी अनियमितताओं के पर टिप्पणी चाही गयी है कि उक्त व्यय राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि तथा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु अनुमोदित प्रकल्पों के अन्तर्गत अनुमत्य थे अथवा नहीं?

इस संबंध में निवेदन है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 33-4/2010-NDM-1 दिनांक 14.03.2020, 15.04.2021 के द्वारा कॉविड-19 के लिए निम्नानुसार मद (ITEMS) स्वीकृत किये गये है:-

Measures for quarantine, sample collection and screening:
a. Provision for temporary accommodation, food, clothing, medical care, etc. for people affected and sheltered in quarantine camps (other than home quarantine) or for cluster containment operations.
b. Cost of consumables for sample collection.
c. Support for checking, screening and contact tracing.

Procurement of essential equipments/labs response to COVID-19: for
a. Cost of setting up additional laboratories within testing the Government and the cost of consumables.
b. Cost of personal protection equipment for healthcare, municipal, police and fire authorities.
c. Cost of Thermal Scanners, ventilators, air purifiers, oxygen generation and storage plant in hospitals, strengthening ambulance services for transport of patients, setting up containment zones, Covid-19 hospital, Covid-19 care centres and consumables for Government hospitals.

गृह मंत्रालय (DM Division) भारत सरकार के द्वारा दिनांक 08.04.2025 एवं 10.10.2022 के द्वारा जारी एसडीआरएफ मद एवं नोर्म्स के अनुसार निम्नानुसार प्रावधान स्वीकृत है:-

Items Not Covered under SDRF/ NDRF
(f) State Govt Buildings viz. departmental/office building, departmental residential quarters, religions structures, patwarkhana, Court premises, play ground, forest bungalow property and animal/bird sanctuary etc.
(g) Long term/permanent restoration work.

Signature valid
Digitally signed by Bhagwat Singh
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.12.05 16:45:10 IST
Reason: Approved

(भगवत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

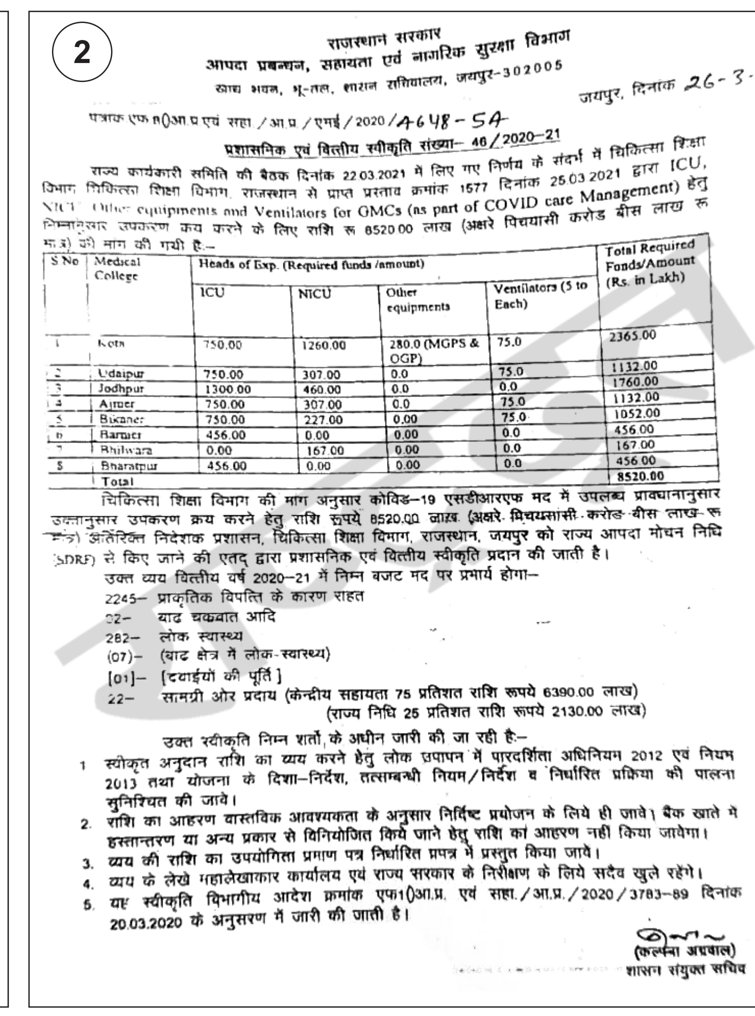

2

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

जयपुर, दिनांक 26-3-2

पत्रांक एफ 8()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./एमई/2020/4648-54

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या- 46/2020-21

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.03.2021 में लिए गए निर्णय के संदर्भ में चिकित्सा शिक्षा विभाग चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1577 दिनांक 25.03.2021 द्वारा ICU, NICU, Other equipments and Ventilators for GMCs (as part of COVID care Management) हेतु निम्नानुसार उपकरण क्रय करने के लिए राशि रू 8520.00 लाख (अक्षरे पिचयासी करोड़ बीस लाख रू मात्र) की मांग की गयी है:-

S.No	Medical College	Heads of Exp. (Required funds /amount)				Total Required Fonds/Amount (Rs. in Lakh)
		ICU	NICU	Other equipments	Ventilators (5 to Each)	
1	Kota	750.00	1260.00	280.0 (MGPS & OGP)	75.0	2365.00
2	Udaipur	750.00	307.00	0.0	75.0	1132.00
3	Jodhpur	1300.00	460.00	0.0	0.0	1760.00
4	Ajmer	750.00	307.00	0.0	75.0	1132.00
5	Bikaner	750.00	227.00	0.00	75.0	1052.00
6	Barmer	456.00	0.00	0.00	0.0	456.00
7	Bhilwara	0.00	167.00	0.00	0.0	167.00
8	Bharatpur	456.00	0.00	0.00	0.0	456.00
	Total					8520.00

चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग अनुसार कोविड-19 एसडीआरएफ मद में उपलब्ध प्रावधानानुसार उक्तानुसार उपकरण क्रय करने हेतु राशि रुपये 8520.00 लाख (अक्षरे पिच्यासी करोड़ बीस लाख रू मात्र) अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से किए जाने की एतद द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में निम्न बजट मद पर प्रभार्य होगा-
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02- बाढ़ चक्रवात आदि
282- लोक स्वास्थ्य
(07)- (बाढ़ क्षेत्र में लोक-स्वास्थ्य)
[01]- [दवाईयों की पूर्ति]
22- सामग्री और प्रदाय (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रूपये 6390.00 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रूपये 2130.00 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-
1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
2. राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही जावे। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नही किया जावेगा।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जावे।
4. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।
5. यह स्वीकृति विभागीय आदेश क्रमांक एफ1()आ.प्र. एवं सहा./आ.प्र./2020/3783-89 दिनांक 20.03.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(कल्पना अग्रवाल)
शासन संयुक्त सचिव

दस्तावेज (1) *राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से संयुक्त शासन सचिव ने अपने पत्र में स्पष्ट रुप से नियमों को उद्धृत करते हुए बताया है कि एस.डी.आर. एफ. फंड का उपयोग मरीजों की जांच करने, ''क्वारंटीन'' करने और मेडिकल लैब में जरूरी उपकरण, पी.पी.पी. किट इत्यादि लेने के लिये किया जा सकता है। इस फंड का उपयोग स्थाई या लंबे समय के लिये उपयोग में आने वाले निर्माण कार्यों या मरम्मत कार्यों में नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक गहलोत सरकार को भी इस नियम कायदे की भली भांति जानकारी थी।* ***दस्तावेज (2)*** *इसलिये एस.डी.आर.एफ. फंड के उपयोग के लिये राज्य सरकार ने पहले आदेश में आई.सी.यू. व एन.आई.सी.यू. में वेंटीलेटर तथा अन्य उपकरणों के खरीद के आदेश दिये हैं। परंतु बाद के आदेशों में शब्दों को गोल-मोल कर आई.सी.यू. के निर्माण कार्यों के आदेश कुछ गिनी-चुनी कंपनियों को दिये गये।*

धनखड़ की टिप्पणी ने भारी विवाद उत्पन्न किया

धनखड़ की टिप्पणी के अनुसार, न्यायपालिका अनावश्यक रुप से विधायकों के काम में हस्तक्षेप कर रही है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 अप्रैल। विवादास्पद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा केन्द्र सरकार को दी गई अंतरिम राहत ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। विशेषतौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बैंच की भूमिका को लेकर न्यायपालिका अभूतपूर्व जांच के दायरे में आ गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की हालिया टिप्पणियों ने विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन पर बहस को और तेज कर दिया है।

- धनखड़ ने, कानून बनाने के मामले में संसद को सुप्रीम माना है, तथा सुप्रीम कोर्ट को सचेत किया कि, सुप्रीम कोर्ट का वक्फ संशोधन विधेयक के मसले पर ''जुडिशियल ओवर रीच'' (अनाधिकार चेष्टा) उचित नहीं है।

सत्रह अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, केन्द्र सरकार को वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि विवादास्पद प्रावधानों - जिनमें गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना और वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाई करना शामिल है- को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई 5 मई 2025 के लिए निर्धारित की है और सरकार को एक सप्ताह में विस्तृत जवाब

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्य अभियन्ता भरतपुर फ्लड कंट्रोल का मानचित्र पेश करें

जयपुर, 19 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर को बाढ़ से बचाने के लिए बनाए गई सिटी फ्लड कन्ट्रोल ड्रेन में हुए अतिक्रमण के मामले में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को व्यक्तिशः हाजिर होकर मौजूदा स्थल पर राजस्व मानचित्र को सुपर इंपोज करते हुए मानचित्र पेश करने को कहा है। अदालत ने कहा कि मामला साल 2019 से लंबित है और अदालत ने गत वर्ष राज्य सरकार से यह रिकॉर्ड मांगा था। इसके बावजूद अब तक अदालत को सुपर इंपोज मानचित्र की

- हाईकोर्ट ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता को 13 मई को स्वयं पेश करने के आदेश दिये।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धनखड़ की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आक्रमक टिप्पणी भाजपा का पलटवार है न्यायपालिका के खिलाफ?

ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा हाईकमान, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि पर राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये समय अवधि का अंकुश लगाने से बहुत खिन्न है

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। ऐसा प्रतीत होता है कि यह देश की सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय पर बहुत सोचा-समझा तथा सावधानीपूर्वक तथा योजनाबद्ध रूप से तैयार किया हुआ हमला है, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा अंजाम दिया गया है। ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के राज्यपाल आर. एन. रवि के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बुरी तरह व्याकुल तथा आहत होने के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सर्वोच्च न्यायालय को काबू में लेने के प्रयास शुरू कर दिये है।

- उप राष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, आर्टिकल 142 प्रजातंत्र ताकतों के खिलाफ छोड़ा गया न्युक्लियर मिसाइल है।
- धनखड़ के बाद भाजपा के सांसद निशिकान्त दूबे ने और भी रंगीन व असंसदीय भाषा में सुप्रीम कोर्ट को कोसा।
- अब तक भाजपा की पूर्णतया चल रही थी, संसद में उठाये गये सभी मुद्दों पर, अब पहली बार अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, अतः न्यायपालिका को टारगैट बनाया गया है, इतने आक्रमक तरीके से।

सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अत्यन्त कठोर और निन्दापूर्ण भाषण की पहल देश के उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की थी और अब उन्हीं का अनुसरण भाजपा सांसद निशिकान्त दुबे ने किया है, जिनका उपयोग भाजपा का शीर्ष नेतृत्व विपक्ष के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करने तथा खरी-खोटी सुनाने के लिए प्रायः करता रहता है।

राज्यपाल रवि द्वारा स्टालिन सरकार के विधेयकों को रोके रखने तथा उन पर कुण्डली मार कर बैठे रहने को सर्वोच्च न्यायालय ने नरमी से नहीं लिया था। न्यायालय ने दृढ़ तापूर्वक कह दिया था कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि उनके पास भेजे गये

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेडीए के तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी को दो साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने 15 साल पहले विश्वकर्मा क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण को नहीं तोड़ने की एवज में 7 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में, जेडीए के रिटायर हो चुके तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा और फील्ड सहायक कैलाश जांगिड़ को दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पीठासीन अधिकारी बृजेश कुमार शर्मा ने दोनों अभियुक्तों पर कुल तीस हजार रुपए का

- पंद्रह वर्ष पुराने मामले में अवैध निर्माण तोड़ने के लिये रिश्वत लेने के मामले में रिटायर हो चुके प्रवर्तन अधिकारी व फील्ड सहायक को एसीबी मामलों की अदालत ने सजा सुनाई।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प अब अमेरिका के फैडरल रिज़र्व बैंक के चेयरमैन को हटाने के लिये बैचेन हैं

ट्रम्प का पूरा प्रयास है कि, चेयरमैन जेरोम पॉवेल, जिनका कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो रहा है, को बर्खास्त कर देना चाहिये

- अंजन रॉय -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 अप्रेल। जैसा कि अक्सर आर्थिक संकट से जूझ रही सरकारों में देखा गया है, वे अपने संकट का सारा दोष सैन्ट्रल बैंकों पर मढ़ देती हैं।

आमतौर पर सरकारें और वित्त मंत्री ब्याज दरें तय करने और मौद्रिक नीति (मॉनिटरी पॉलिसीज़) पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक के गवर्नर और अध्यक्ष इस क्षेत्र पर अपने विशेषाधिकार की बात करते हैं।

वर्तमान में डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के सैन्ट्रल बैंक से अपेक्षा कर रहे हैं कि वह नीतिगत ब्याज दरें कम करे और सरकार को एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति (एक्सपैंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी) के जरिये समर्थन दे। जबकि, फेडरल रिज़र्व ने सतर्क नीति अपनाई है और मॉनिटरी पॉलिसी व ब्याज दरों को लेकर ''आंकड़ा आधारित'' दृष्टिकोण पर जोर दिया है।

इस स्पष्ट विरोध के चलते राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सैन्ट्रल बैंक पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि चेयरमैन जेरोम पॉवेल को तुरंत हटाया जाना चाहिए। ट्रंप पॉवेल को हटाने को लेकर बहुत उतावले हैं।

मई 2026 में फैडरल रिज़र्व चेयरमैन पॉवेल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ट्रंप हर हाल में उससे पहले पॉवेल को हटाना चाहते हैं। लेकिन, अमेरिका में ऐसी कई कानूनी मिसालें है, जो केन्द्रीय बैंक चीफ और अन्य स्वतंत्र सरकारी संस्थाओं की स्वायत्तता की रक्षा करती हैं। लेकिन ट्रंप एक और मोर्चा खोलने को तैयार हैं।

- ट्रम्प को, हालांकि, सभी क्षेत्रों से यह कठोर कदम उठाने के खिलाफ मशविरा मिल रहा है। यहां तक कि ट्रैजरी सचिव (वित्त मंत्री) स्कॉट बैसैन्ट भी इस बर्खास्तगी के विरोध में हैं।
- ट्रम्प चाहते थे, कि फैडरल बैंक ब्याज दर घटाये, जिससे सरकार की विस्तार वादी नीति के क्रियान्वयन को मदद मिले, परंतु फैडरल बैंक ''आकड़ों'' पर आधारित नीति का अनुकरण करना चाहता है, ब्याज दर के मामले में।
- भारत में भी वित्त मंत्री व रिज़र्व बैंक के बीच मतभेद कोई नई बात नहीं है, जैसे कि कारण रघुराम राजन का कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया था तथा वित्त मंत्री चिदम्बरम् व तत्कालीन रिज़र्व बैंक गवर्नर पी.वी. सुब्बाराव के बीच खुल्लम खुल्ला कटाक्ष बाजी हुई थी।

इसके कई और गंभीर पहलू हैं। जानकारों का मानना है कि पॉवेल की समय से पहले बर्खास्तगी इस अनिश्चित समय में बाज़ार में तबाही मचा सकती है। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि ट्रंप की कैबिनेट में ट्रेजरी सेक्रेटरी रहे स्कॉट बेसेन्ट ने भी ऐसी किसी कार्रवाई के खिलाफ सलाह दी है।

हमारे देश में भी रिज़र्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों के बीच ऐसी टकराव की कहानियां कम नहीं रही हैं।

रघुराम राजन, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के सबसे प्रभावी गवर्नरों में माने जाते हैं, को नया कार्यकाल इसलिए नहीं मिला था, क्योंकि उन्होंने भारतीय संस्कृति और विविधता तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सार्वजनिक तौर पर बयान दिए थे। हालांकि, उनके और उस समय की सरकार के बीच ब्याज दरों को लेकर कोई बड़ा मतभेद नहीं था और उनके काम की व्यापक सराहना हुई थी।

एक अन्य उदाहरण में, जब पी. वी. सुब्बा राव आर बी आई गवर्नर थे और पी. चिदंबरम वित्त मंत्री, तो चिदंबरम ने नरम ब्याज नीति के लिए संकेत दिए। लेकिन सुब्बा राव ने, देश में महंगाई की स्थिति को देखते हुए, इसे अनुचित समझा।

इस संदर्भ में चिदंबरम ने कहा कि अगर आर बी आई वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर नहीं चलेगा, तो मंत्रालय ''अकेले ही चलना'' पसंद करेगा। सुब्बा राव ने भी तुरंत जवाब दिया, ''यदि अभी नहीं, तो वित्त मंत्री एकांत में इस बात के लिए आभारी महसूस करते होंगे कि आर. बी. आई. जमीनी स्तर पर मौद्रिक नीति प्रबंधन के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखने के लिए मौजूद है।''

अपहरण कर कई दिन दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की सजा

जयपुर, 19 अप्रैल। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त युवकों को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने 22 वर्षीय इन अभियुक्तों पर कुल 6.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्तों में से एक, पीड़िता की भाभी का भाई और दूसरा उसका दोस्त है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि इन दिनों अवयस्क बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

- पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्तों पर 6.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)